<u>प्रतिवेद्य</u>

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलीय अधिकारिता

<u>सिविल अपील स. 8249/2022</u>
[वि.अ.या.(सिविल) सं. 25457/2019 से उत्पन्न]

मेसर्स टेक्सको मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ....अपीलकर्ता

बनाम

टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य ....प्रत्यर्थी(गण)

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. एम. एम. सुंदरेश.</u>

अनुमति दी गई

पक्षों की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया

<u>तथ्यों पर</u>

1. अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी से 28.07.2012 को एक मानक अग्नि और विशेष जोखिम नीति प्राप्त की। यह नीति दिनांक 28.07.2012 से 27.07.2013 तक प्रभावी थी। यह इमारत के बेसमेंट में स्थित एक दुकान के लिए थी। हालांकि, अनुबंध का अपवाद खंड निर्दिष्ट करता है कि यह बेसमेंट को कवर नहीं करता। दुकान का उचित निरीक्षण किया गया था जो वास्तव में प्रत्यर्थी सं. 1 के कार्यालय से सड़क के दूसरी ओर स्थित था। न केवल अपीलकर्ता की दुकान, बल्कि इसी प्रकार एक अन्य दुकान का भी प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा बीमा किया गया था। अपीलकर्ता ने प्रीमियम का तत्काल भुगतान करना जारी रखा।

2. अपीलकर्ता ने और आगे निर्माण कराया, जिसके लिए यथोचित नोटिस दिया गया था और यथोचित निरीक्षण भी किया गया था। दुकान में आग लग गई जिसके लिए अपीलकर्ता ने दावा किया। प्रतिवादी संख्या 1 के सर्वेक्षक ने भी एक निरीक्षण किया, जिसके आधार पर अपीलकर्ता को उचित मूल्यांकन के उद्देश्य से अपनी दुकान को पुनःसज्जित करने का निर्देश दिया गया। देय राशि के मुद्दे तक आते आते, सर्वेक्षक ने इस बात पर ध्यान दिया था कि पहले भी निरीक्षण किए गए थे और यह तथ्य कि दुकान बेसमेंट में थी, बीमाकर्ता की जानकारी में था। अपवाद धारा के अंतर्गत प्रतिवादी सं. 1 द्वारा किए गए दावे को खारिज कर दिया गया था।

3. राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एतद पश्चात 'राज्य आयोग' के रूप में संदर्भित) ने प्रतिवादी सं. 1 की दलील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि पर्याप्त प्रकटीकरण नहीं था, अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था, क्योंकि बीमाकर्ता के काम में कमी थी और वह अनुचित व्यापार व्यवहार में लिप्त था। यह तथ्य कि एक समान रखी गई दुकान को भी कवर किया गया था, विवादास्पद नहीं था। देय राशि केवल तीसरे पक्ष के लिए माल की उचित कटौती के बाद है।

4. उपरोक्त निर्णय को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एतद पश्चात 'राष्ट्रीय आयोग' के रूप में संदर्भित) द्वारा इसके बावजूद भी पलट दिया गया कि प्रत्यर्थी सं. 1 कानून के जनादेश का अनुपालन नहीं कर रहा था और निरीक्षण वास्तव में अनुबंध के निष्पादन से पहले और उसके बाद भी किया गया था। सेवा में कमी पाए जाने के बाद, राज्य आयोग के निर्णय को रद्द करने के लिए इन्होने अपवाद खंड को आधार बनाया और 7.5 लाख रुपये की राशि मंजूर की। राष्ट्रीय आयोग का यह निर्णय हमारे समक्ष चुनौती के अधीन है।

<u>बार के समक्ष प्रस्तुतियां</u>

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए.के. गांगुली ने कहा कि राष्ट्रीय आयोग ने तथ्यों और कानून दोनों पर राज्य आयोग के

तर्क को पलटा नहीं है। एक बार यदि ऐसा निष्कर्ष निकलता है जो विवादस्पद नहीं है तो परिणाम सामने आयेंगे।

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्रीमती शांता देवी आर. ने कहा कि अपवाद खंड का अस्तित्व विवादास्पद नहीं है। मान लिया जाए कि दुकान बेसमेंट में थी, यह तथ्य कि राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्णय को स्वीकार कर लिया जाना प्रत्यार्थियों को इस बात का विरोध करने से नहीं रोक सकता कि समझौते के निष्पादन के समय यह जानकारी थी, गलत है। किसी भी मामले में यह राज्य आयोग के निर्णय को बहाल करने का आधार नहीं हो सकता।

<u>मामले की गंभीरता</u>

7. "ऐसा अपवाद खंड जो कि उसी समझौते को नकार दे जिसमें कि सोच-समझ के उतरा गया है क्या उसी पक्ष के द्वारा उपयोग किया जा सकता है जिसने उसे प्रस्तुत किया हो, उसका लाभार्थी बना हो और फिर उसके दायित्व से बचना चाह रहा हो?

<u>सिद्धान्त</u>

<u>अडहीजन (आसंजन) अनुबंध</u>

8. ब्लैक लॉ डिक्शनरी "अडहीजन (आसंजन) अनुबंध" को इस प्रकार परिभाषित करती है:

> "एक पक्ष द्वारा तैयार किया गया मानक-फॉर्म अनुबंध, जिसे कमजोर स्थिति वाले पक्ष, आमतौर पर ऐसे उपभोक्ता जिनके पास शर्तों के संबंध में बहुत कम विकल्प होते हैं द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है। इसे अडहीजन का अनुबंध; अडहिजरी अनुबंध; अडहिजनरी अनुबंध; टेक इट ओर लीव इट अनुबंध; लियोनियर अनुबंध भी कहा जाता है।"

9. आसंजन अनुबंधों को अन्यथा मानक-फॉर्म अनुबंध कहा जाता है। बीमा के अनुबंध जिसमें एक मानक प्रारूप होता है जिस पर उपभोक्ता को हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है। उनके पास डॉटेड लाइन पर हस्ताक्षर करने के सिवाय अनुबंध की शर्तों पर बातचीत करने के कम उपाय या विकल्प हैं। बीमाकर्ता प्रमुख पक्ष होने के नाते अपनी शर्तों को निर्धारित करता है, इसे मानना या छोड़ना उपभोक्ता पर छोड़ देता है। इस तरह के अनुबंध स्पष्ट रूप से एकतरफा हैं और उपभोक्ता की कमजोर सौदेबाजी की शक्ति के कारण बीमाकर्ता के पक्ष में हैं।

10. अनुबंध की स्वतंत्रता की अवधारणा बीमा के अनुबंध में कुछ महत्व खो देती है। इस तरह के अनुबंधों में बीमाकर्ता की ओर से बहुत उच्च स्तर की समझदारी, सद्भावना, प्रकटीकरण और नोटिस की आवश्यकता होती है, जो निष्पक्षता के सिद्धांत के विभिन्न पहलू हैं। हालांकि, बीमा का अनुबंध

उपभोक्ता की ओर से एक स्वैच्छिक कार्य है इसका स्पष्ट इरादा भविष्य में होने वाली किसी भी आकस्मिकता को कवर करना है। उस उद्देश्य के लिए स्पष्ट रूप से प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, क्योंकि जब अप्रत्याशित परिस्थितियाँ होता है तो एक वैध अपेक्षा प्रतिपूर्ति की होती है। इसलिए, बीमाकर्ता से उस उद्देश्य को ध्यान में रखने की उम्मीद की जाती है की उपभोक्ता के दृष्टिकोण से वह भी संभावित प्रत्याख्यान के विरुद्ध जोखिम को कवर करे।

<u>अपवाद खंड</u>

11. बीमा के अनुबंध में अपवाद खंड की अलग तरह से व्याख्या की जानी चाहिए। जब इस तरह के खंड पर भरोसा किया जाता है तो न केवल जिम्मेदारी बल्कि दायित्व भी बीमाकर्ता पर पड़ता है। यही कारण है कि बीमा अनुबंध एक विशेष अनुबंध हैं जो कि भरोसे की धारणा पर आधारित हैं। यह बीमाकर्ता के लिए लाभ या सुरक्षा का उपाय नहीं है, परन्तु अनुमान पर आधारित होने के कारण यह आकस्मिक स्थितियों में लगाया जाना है। अपने स्वरुप से बीमा अनुबंध दोनों पक्षों द्वारा सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा करना अनिवार्य करता है।
12. अपवाद खंड को अनुबंध के रेखांकित उद्देश्य और इरादे के प्रकाश में पढ़ने के सिद्धांत के आधार पर समझा जाना चाहिए। इसका मतलब उस मुख्य

उद्देश्य के साथ टकराव नहीं है जिसके लिए अनुबंध को तैयार किया गया है। जो पक्ष इसे आधार बनाता है, वह धोखाधड़ी, जबरदस्ती या गलत प्रतिनिधित्व के कार्य में लिप्त नहीं हो सकता है, खासकर जब उसी के द्वारा अपवाद खंड के साथ अनुबंध पेश किया गया हो। इस तरह के खंड को मुख्य अनुबंध की दृष्टि से समझा जाना चाहिए। हस्ताक्षर के बाद मुख्य अनुबंध विरोधात्मक अपवाद खंड को निष्प्रभावित कर देगा जब इसे अन्यथा निष्पादित करना असंभव होगा। खंड या शर्त एक ऐसा अंग है, जिसका कोई बाहरी अस्तित्व नहीं है, यह अनुबंध के साथ ही बनता या गायब हो जाता है, इसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसमें अपने निर्माता, यानी मुख्य अनुबंध को नष्ट करने की कोई क्षमता नहीं है। जब यह मुख्य अनुबंध के लिए घातक होता है, तो इसे एक सोचे-समझे अपवाद होने के नाते शुरुआत में ही अलग करना पड़ता है, हालांकि इसे अनजाने में या जानबूझकर उस पक्ष द्वारा लाया जाता है जिसने इसे पेश किया था। छूट, सहमति, स्वीकृति और पुनः प्रत्यारोपण, और विवाद्यक विबंध का सिद्धांत निश्चित रूप से लागू होगा, जैसा कि इस न्यायालय ने एन मुरुगेसन बनाम भारत संघ (2022) 2 एससीसी 25 के मामले में विचार किया था।

13. कानून के उपर्युक्त सिद्धांत पर, विशेष रूप से जिम्मेदारी, बोझ और पढ़ने के मुद्दों के संबंध में, इस न्यायालय ने **शिवराम चंद्र जगरनाथ कोल्ड स्टोरेज बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** (2022) 4 एससीसी 539 मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है,

> "19. एक और उदाहरण जहां बीमित व्यक्ति के लाभ के लिए अपवाद खंडों की व्याख्या की जा सकती है, वह है जब अपवाद खंड बहुत व्यापक होते हैं और बीमा पॉलिसी के मुख्य उद्देश्य या विषय के अनुरूप नहीं होते हैं। *बी.वी. नागराजू बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड* (1996) 4 एससीसी 647 में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने नीति के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक अपवाद खंड पढ़ा। हालांकि, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अपवाद खंड का उल्लंघन प्रकृति में इतना मौलिक नहीं था जिससे बीमा पॉलिसी का खंडन होता। उस स्थिति में, बीमा पॉलिसी की शर्तों ने एक बीमित वाहन को चालक को छोड़कर छह श्रमिकों को ले जाने की अनुमति दी। जब वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो उसमें चालक के अलावा नौ लोग सवार थे। बीमित व्यक्ति ने वाहन की मरम्मत के लिए दावा किया था, जिसे बीमाकर्ता ने खारिज कर दिया था।
>
> 20. दावे को अनुमति देते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :- (बी.वी. नागराजू वाद (1996) 4 एससीसी 647], एससीसी पृ. 650-51, पैरा 7)
>
> *"7. बीमा पॉलिसी की शर्तों से यह स्पष्ट है कि बीमित वाहन चालक को छोड़कर 6 श्रमिकों को*

ले जाने का अधिकारी था। यदि वाहन में यात्रा करते समय उन 6 श्रमिकों को दुर्घटना होने पर बीमा कंपनी के दृष्टिकोण से कोई जोखिम बढ़ाने वाला नहीं माना जाता है, तो उस भार को अलग रख कर जो वह ढो रहा था, उन अतिरिक्त व्यक्तियों को यह कैसे कहा जा सकता है कि उन्होंने इसके कारण में योगदान दिया है। यहां, यह किसी का मामला नहीं है कि बीमित वाहन का चालक दुर्घटना के लिए जिम्मेदार था। वास्तव में, यह विवादित नहीं था कि आने वाला वाहन बीमित वाहन से आमने-सामने टकरा गया था, जिसके परिणामस्वरूप क्षति हुई थी। वाहन के मालिक की जानकारी के बिना वाहन के चालक या क्लीनर द्वारा केवल एक या दो या यहां तक कि तीन लोगों को बैठाया जाना इतना मौलिक उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है कि मालिक को सभी परिस्थितियों में क्षतिपूर्ति से वंचित किया जाए। वाहन का दुरुपयोग हालांकि कुछ हद तक अनियमित था, लेकिन प्रकृति में इतना मौलिक नहीं था कि अनुबंध को समाप्त कर दिया जाए, जब तक कि कुछ कारक मौजूद न हों, जो स्वयं दुर्घटना के कारण में योगदान दे रहे थे। हालांकि, तत्काल मामले में, हमें ऐसा कोई योगदान देने वाला कारक नहीं मिला है। स्कैंडिया मामले में [स्कैंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कोकिलाबेन चंद्रवदन, (1987) 2 एससीसी 654] इस न्यायालय ने निम्नानुसार मत

रखते हुए अनुबंधत्मक खंड को पढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया :- (एससीसी पृ. 665-66, पैरा 14)

'14. ... जब एक तरफ दुर्घटनाओं के शिकार लोगों या उनके आश्रितों के संकट और दुख को दूर करने वाले दृष्टिकोण का चयन करने और समान रूप से स्वीकार्य दृष्टिकोण, जो व्यावसायिक गतिविधि के माध्यम से बीमाकर्ता द्वारा लिए गए व्यावसायिक खतरे के संबंध में बीमाकर्ता की लाभप्रदता को कम करेगा, के बीच चुनाव होता है, तो शायद ही कोई विकल्प होता है। न्यायालय पूर्व दृष्टिकोण का विकल्प चुनने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। यहां तक कि अगर कोई सख्ती से अव्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाता है, तो भी प्रावधान के "मुख्य उद्देश्य" के आलोक में अपवाद खंड को "पढ़ने" के सिद्धांत के अनुरूप यही निष्कर्ष निकलेगा ताकि "अपवाद खंड" पहले उजागर किए गए "मुख्य उद्देश्य" के साथ टकराव न करे। मुख्य उद्देश्य पर अपवाद खंड को सफलतापूर्वक चोट करने की अनुमति देने के बजाय दोनों को सुसंगत बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जिस सिद्धांत को किसी समर्थन की आवश्यकता नहीं है, वह कार्टर के "अनुबंध के उल्लंघन" के पैरा 251 द्वारा समर्थित है। जो इस प्रकार है :-

"दायित्वों को परिभाषित करने के लिए काम करने वाले अपवाद खंडों पर सहमत होने के

लिए अनुबंधति पक्षकारों की सामान्य क्षमता के बावजूद, एक नियम मौजूद है, जिसे आमतौर पर "मुख्य उद्देश्य नियम" के रूप में जाना जाता है, जो एक वचनदाता के अनुबंधत्मक दायित्वों को परिभाषित करने वाले व्यापक अपवाद खंडों के उपयोग को सीमित कर सकता है। उदाहरण के लिए, ग्लिन बनाम मार्गेटसन एंड कंपनी [1893 एसी 351 (एचएल)], एसी पृ. 357 पर, लॉर्ड हल्सबरी, एल.सी. ने कहा :- (एसी पृ. 357)।

> '... मुझे ऐसा लगता है कि इस दस्तावेज का निर्माण करते समय, जो पक्षकारों के बीच गाड़ी चलाने का एक अनुबंध है, पहले पूरे दस्तावेज को देखना चाहिए और केवल इसके एक हिस्से को नहीं। पूरे दस्तावेज को देखते हुए, और उसे देखते हुए जिसे ... इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में समझा जाना चाहिए, शब्दों को अस्वीकार करना चाहिए, वास्तव में पूरे प्रावधान को, यदि वे उसके साथ के असंगत हैं जो अनुबंध का मुख्य उद्देश्य माना जाता है।'

यद्यपि इस नियम ने मौलिक उल्लंघन के सिद्धांत के विकास में भूमिका निभाई, लेकिन नियम की निरंतर वैधता को स्वीकार किया गया जब सिद्धांत को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा

सुइस अटलांटिक सोसिएट डी' आर्मेमेंट मैरीटाइम एस.ए. बनाम एन.वी. रॉटरडैम कोलेन सेंट्रल (1967) 1 एसी 361: (1966) 2 डब्ल्यूएलआर 944 (एचएल)] में खारिज कर दिया गया था। तदनुसार, व्यापक बहिष्करण खंडों को उस हद तक पढ़ा जाएगा जिस हद तक वे अनुबंध के मुख्य उद्देश्य या उद्देश्य के साथ असंगत हैं।

(मूल और आपूर्ति में जोर)"

<u>प्रकटीकरण, सद्भावना और नोटिस का कर्तव्य</u>

14. प्रकटीकरण, सद्भावना और नोटिस को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत निष्पक्षता के सामान्य कानून सिद्धांत पर स्थापित हैं। इन सिद्धांतों को मानक प्रकार के अनुबंधों में अधिक कठोरता के साथ लागू किया जाना है जैसे बीमा अनुबंध। जब हम अपवाद खंड से निपटते हैं तो इस तरह के प्रयोग की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। बीमा अनुबंध की अनूठी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, बीमाकर्ता की ओर से सद्भावना, प्रकटीकरण और नोटिस के उचित अनुपालन का एक बहुत ही उच्च मानक आवश्यक है।

15. बीमाकर्ता की ओर से सद्भावना का कार्य अनुबंध को निष्पादित करने के अपने इरादे के समय से शुरू होता है। प्रकटीकरण एक आदर्श होना चाहिए

और जो एक भौतिक तथ्य का गठन करता है उसके लिए एक उदार व्याख्या की आवश्यकता होती है। यह केवल तब होता है जब कोई बीमाकर्ता अपवाद खंड पर कार्यवाही करने का इरादा नहीं रखता है, उपरोक्त सिद्धांतों को सख्त अनुपालन की आवश्यकता नहीं होती। जिन तीन तत्वों पर हमने चर्चा की है, वे परस्पर जुड़े हुए हैं और अतिव्यापी हैं। बीमाकर्ता का यह सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह उचित प्रकटीकरण और नोटिस को उसके वास्तविक अर्थ में प्रभावी बनाए। जब, बीमाकर्ता की जानकारी में, एक अपवाद खंड पेश किया जाता है जो अनुबंध को निष्पादित होने की तारीख पर कानूनी रूप से अबाध्यकारी बनाता है, गैर-प्रकटीकरण और कानून द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया का पालन करके उक्त अनुबंध की एक प्रति प्रस्तुत करने में विफलता, उक्त खंड को निरर्थक और अस्तित्वहीन बना देगी।

16. लॉर्ड डेनिंग ने **जॉर्ज मिशेल (चेस्टरहॉल) लिमिटेड बनाम फिनी लॉक सीड्स लिमिटेड** (1983) लॉ रिपोर्ट्स क्यू.बी. 284 में अपर्याप्त प्रकटीकरण करने में दोष का संक्षेप में वर्णन किया है,

> आजकल आप में से किसी को भी याद नहीं होगा हमें कितनी परेशानी हुई थी - अपवाद खंड के साथ - जब मैंने वकालत शुरू की थी। वे टिकट और ऑर्डर प्रपत्र और चालान के पीछे छोटे प्रिंट में मुद्रित किए गए थे। वे कैटलॉग या समय सारिणी में निहित थे। उन्हें किसी भी व्यक्ति के लिए बाध्यकारी माना गया था जो उन्हें बिना

किसी आपत्ति के लेता था। कभी किसी ने आपत्ति नहीं की। उन्होंने उसे कभी नहीं पढ़ा या नहीं जानते थे कि उसमें क्या था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने अनुचित थे, वह बाध्य था। यह सब "अनुबंध की स्वतंत्रता" के नाम पर किया गया था। लेकिन स्वतंत्रता उस बड़े हितधारक के पक्ष में थी जिसमें प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग था। टिकट या ऑर्डर प्रपत्र या चालान लेने वाले छोटे आदमी के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं। बड़े हितधारक का कहना था, इसे ले लो या छोड़ दो। छोटे आदमी के पास इसे लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बड़ा हितधारक छोटे आदमी की परवाह किए बिना अपने हित में दायित्व से खुद को मुक्त कर सकता था और ऐसा ही करता था। यह बार-बार इसके परिणाम से बच निकलता। जब न्यायालयों ने बड़े हितधारक को कहा, "आपको इसे स्पष्ट शब्दों में रखना चाहिए," बड़े हितधारक को ऐसा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। यह अच्छी तरह से जानता था कि छोटा आदमी कभी भी अपवाद खंडों को नहीं पढ़ेगा या उन्हें समझ पाएगा।

यह अनुबंध के हमारे कानून के लिए निराशाजनक था.....

17. **मनमोहन नंदा बनाम यूनाइटेड इंश्योरेंस** (2022) 4 एससीसी 582 मामले में इस अदालत ने हाल ही के निर्णय में एक बीमाकर्ता और बीमाधारक के कर्तव्य को संक्षेप में प्रस्तुत किया है,

परम विश्वास

31. यह देखा गया है कि बीमा अनुबंध पूर्ण प्रकटीकरण के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर विशेष अनुबंध होते हैं क्योंकि बीमा चाहने वाला व्यक्ति इसमें शामिल जोखिम से संबंधित सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा करने के लिए बाध्य है। कानून बीमा

अनुबंधों के मामलों में भरोसे के एक उच्च मानक की मांग करता है जो कानूनी सूत्र परम विश्वास में व्यक्त किया गया है।

32. बीमा कानून पर मैकगिलिव्रे 13 वें संस्करण ने बीमित व्यक्ति के कर्तव्य को संक्षेप में निम्नानुसार प्रकट किया है:

> ...बीमित व्यक्ति को बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के मूल्यांकन के लिए बीमाकर्ता को सभी महत्वपूर्ण तथ्यों, जो बीमित व्यक्ति को ज्ञात हैं या ज्ञात माने जाते हैं, परंतु बीमाकर्ता द्वारा को न तो ज्ञात है और न ही ज्ञात माने जाते है, का खुलासा करना चाहिए। बीमित व्यक्ति द्वारा इस कर्तव्य का उल्लंघन बीमाकर्ता को बीमा के अनुबंध से बचने का हकदार बनाता है जब तक कि वह यह दिखा सके कि गैर-प्रकटीकरण ने प्रासंगिक शर्तों पर अनुबंध बनाने के लिए प्रेरित किया।

33. कार्टर बनाम बोहम (1766) 3 बर 1905 में लॉर्ड मैन्सफील्ड ने निम्नलिखित शब्दों में बीमित व्यक्ति द्वारा प्रकटीकरण को अपेक्षित बनाने वाले सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया है :- (ई.आर. पी. 1164)

> बीमा अटकलों का एक अनुबंध है।
>
> जिन विशेष तथ्यों पर आकस्मिक संभावना की गणना की जानी है, वे आमतौर पर केवल बीमित व्यक्ति को ज्ञात होते हैं; बीमाकर्ता उसके बयान पर भरोसा करता है, और इस विश्वास पर आगे बढ़ता है कि वह अपने ज्ञान में किसी भी परिस्थिति को छिपा नहीं रहा है ताकि बीमाकर्ता को इस विश्वास में गुमराह किया जा सके कि वह परिस्थिति मौजूद नहीं है,....

ऐसी परिस्थितियों को छिपाना एक धोखाधड़ी है, और इसलिए यह पॉलिसी शून्य है। यद्यपि इसे गलती से छिपाया गया हो, बिना किसी धोखाधड़ी के इरादे के, फिर भी बीमाकर्ता के साथ धोखा हुआ है और पॉलिसी शून्य है; क्योंकि उठाया गया जोखिम वास्तव में समझौते के समय समझे गए और अनुबंध के समय उठाए जाने के इरादे वाले जोखिम से अलग है।

यदि बीमाकर्ता छिपाता है तो नीति उसके खिलाफ समान रूप से शून्य होगी;...

सद्भाव दोनों पक्षों को, जो वे निजी तौर पर जानते हैं, उसे छिपाकर, दूसरे की तथ्य की अज्ञानता, और उसके द्वारा इसके विपरीत विश्वास किए जाने के कारण से उसे सौदेबाजी में खींचने से रोकता है।

उपरोक्त सिद्धांत विचाराधीन नीति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए लागू होंगे, क्योंकि जो प्रकट किया जाना आवश्यक है वह "भौतिक तथ्य" हैं, जो वाक्यांश इस तरह से निश्चित नहीं है, क्योंकि यह किसी विशेष प्रकार की पॉलिसी के तहत जोखिम की व्याप्ति की प्रकृति और सीमा पर निर्भर करेगा। सरल शब्दों में, यह समझा जा सकता है कि कोई भी तथ्य जिसका बीमा के अनुबंध की नींव और पॉलिसी के तहत कवर किए जाने वाले जोखिम पर असर पड़ता है, वह एक "महत्वपूर्ण तथ्य" होगा।

XXX XXX XXX

35. जिस तरह बीमाधारक का कर्तव्य है कि वह सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करे, उसी तरह बीमाकर्ता को बीमाधारक को

पॉलिसी के नियमों और शर्तों के बारे में भी सूचित करना चाहिए जो उसे जारी की जा रही है और प्रस्ताव प्रपत्र या प्रॉस्पेक्टस में दिए गए बयानों या उसके एजेंटों के माध्यम से किए गए बयानों के सख्ती से अनुरूप होना चाहिए। इस प्रकार, अत्यंत सद्भावना का सिद्धांत बीमाधारक द्वारा बीमाकर्ता को दिए गए सार्थक पारस्परिक कर्तव्यों को लागू करता है और इसके उलट भी। प्रकटीकरण का यह अंतर्निहित कर्तव्य मूल रूप से स्वाभाविक न्याय में स्थापित सद्भावना का एक सामान्य कानूनी कर्तव्य था, लेकिन बाद में इसे वैधानिक रूप से मान्यता दी गई है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। अनुबंध में प्रवेश करने वाले पक्षकार भी स्वतंत्र हैं कि वे कर्तव्य का विस्तार करें या अनुबंध की शर्तों द्वारा इसे प्रतिबंधित करें।

18. सद्भावना से कार्य करने के सिद्धांत पर, **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम एम.के.जे. कॉर्पोरेशन** (1996) 6 एससीसी 428 मामले में इस न्यायालय द्वारा यह माना जाता है कि ऐसा करना अनुबंध के लिए पार्टियों का प्राथमिक कर्तव्य है,

> (6) यह बीमा कानून का एक मौलिक सिद्धांत है कि अनुबंध करने वाले पक्षों द्वारा अत्यंत सद्भावना का पालन किया जाना चाहिए। सद्भाव दोनों पक्षों को, जो वे निजी तौर पर जानते हैं, उसे छिपाकर (प्रकट न करके), दूसरे की तथ्य की अज्ञानता, और उसके द्वारा इसके विपरीत विश्वास किए जाने के कारण से उसे सौदेबाजी में खींचने से रोकता है। जिस तरह बीमाधारक का कर्तव्य है कि वह खुलासा करे, "उसी तरह, बीमाकर्ताओं और उनके एजेंटों का कर्तव्य है कि

वे अपने ज्ञान के भीतर सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करें, क्योंकि सद्भाव का दायित्व उन पर बीमित व्यक्ति के साथ समान रूप से लागू होता है।

(7) सद्भाव का कर्तव्य सतत प्रकृति का है। अनुबंध के पूरा होने के बाद, आपसी सहमति के अलावा इसकी शर्तों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। किसी तथ्य के महत्व का आकलन उस समय मौजूद परिस्थितियों से किया जाता है जब अनुबंध पूरा होता है।

19. इसी तरह का दृष्टिकोण **मॉडर्न इन्सुलेटर लिमिटेड बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** (2000) 2 एससीसी 734 में लिया गया था,

(8) यह बीमा कानून का मौलिक सिद्धांत है कि अनुबंध करने वाले पक्षों द्वारा अत्यंत सद्भाव का पालन किया जाना चाहिए और सद्भावना किसी भी पक्ष को उन तथ्यों का खुलासा न करने से रोकती है जिन्हें पक्षकार जानते हैं। बीमाधारक का कर्तव्य है कि वह खुलासा करे और इसी तरह बीमा कंपनी और उसके एजेंटों का कर्तव्य है कि वे अपने ज्ञान में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करें क्योंकि सद्भाव का दायित्व दोनों पर समान रूप से लागू होता है।

20. नोटिस की कोटि पर हम पहले ही **जॉर्ज मिशेल (पूर्वोक्त)** में लॉर्ड डेनिंग के शास्त्रीय अंश को लाभ के साथ उद्धृत कर चुके हैं। नोटिस की इस तरह की कोटि अपवाद खंड पर भरोसा करने वाले पक्ष को इसे दूसरे पक्ष के संज्ञान

में लाने का आदेश देती है, ऐसा करने में कोई भी विफलता उक्त पक्ष को उस पर भरोसा करने से रोक देगी, जैसा कि **भारत वॉच कंपनी बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** 2019 (6) एससीसी 212 में कहा गया है,

> "7. इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता की ओर से जो मूल मुद्दा उठाया गया है, वह यह है कि पॉलिसी दस्तावेज के तहत अपवाद की शर्तों को बीमाकर्ता द्वारा अपीलकर्ता को नहीं सौंपा गया था और अपीलकर्ता को अपवाद की शर्तों से अवगत नहीं कराए जाने की स्थिति में, बीमाकर्ता अपवाद खंडों पर भरोसा करने को स्वतंत्र नहीं है। इसलिए, यह आग्रह किया गया था कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हरचंद राय चंदन लाल, (2004) 8 एससीसी 644 में निर्णय का कोई उपयोग नहीं होगा क्योंकि उस मामले में कोई विवाद नहीं था कि पॉलिसी दस्तावेज बीमित व्यक्ति को जारी किया गया था।
>
> 8. इस निवेदन का जवाब बीमाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मांगा जाता है कि एससीडीआरसी ने अपवाद की शर्तों का अर्थ लगाया है। हालांकि, एससीडीआरसी ने इस न्यायालय के फैसले पर ध्यान नहीं दिया, और इसलिए, एनसीडीआरसी (इस पर जोर दिया गया) इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के संबंध में त्रुटि को ठीक करने में उचित ठहराया गया था। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि अपीलकर्ता लगभग दस वर्षों से अपने माल का बीमा कर रहा है और यह असंभव है कि अपीलकर्ता को बहिष्करण के बारे में पता नहीं था।
>
> 9. जिला फोरम के निर्णय से हमें पता चलता है कि यह अपीलकर्ता का विशिष्ट तर्क था कि पॉलिसी दस्तावेज में अपवाद

शर्तों को बीमाकर्ता द्वारा सूचित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अपवाद के नियम और शर्तों को कभी सूचित नहीं किया गया था। यह तथ्य विवादित नहीं है कि बीमा का अनुबंध था, और न ही कभी भी विवाद में रहा है। एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या अपीलकर्ता को अपवाद शर्तों के बारे में सूचित किया गया था। जिला फोरम तथ्य के इस विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचा कि बीमाकर्ता ने अपीलकर्ता को अपवाद और विशेष शर्तों के नियम और शर्तें प्रस्तुत नहीं कीं और इसलिए, वे बाध्यकारी नहीं थीं। जब मामला एससीडीआरसी में पहुंचा, तो एक बार फिर तथ्य का यह निष्कर्ष सामने आया कि शिकायतकर्ता को अपवाद की शर्तें नहीं दी गईं थी।

10. इसे अभिनिर्धारित करने के बाद, एससीडीआरसी इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा कि किसी भी स्थिति में अपवाद लागू नहीं होगा। इस तरह के अपवाद खंड की व्याख्या के संबंध में एससीडीआरसी का निष्कर्ष स्पष्ट रूप से इस न्यायालय द्वारा हरचंद राय (पूर्वोक्त) में अधिकथित कानून के विपरीत है। हालांकि, उस व्याख्या की प्रासंगिकता उत्पन्न होती यदि बीमित व्यक्ति को अपवाद की शर्तें प्रदान की गईं होती। एनसीडीआरसी जिला फोरम और एससीडीआरसी दोनों के समवर्ती निष्कर्षों से चूक गया कि अपवाद की शर्तों की बीमित व्यक्ति को जानकारी नहीं दी गई थी। यदि उन शर्तों को बीमित व्यक्ति को सूचित नहीं किया गया था, जैसा कि समवर्ती निष्कर्ष है, तो एनसीडीआरसी के लिए इस तरह के अपवाद के प्रभाव पर निर्णय देने का कोई अवसर नहीं था।

21. उपरोक्त सिद्धांत की चर्चा पर, यह निष्कर्ष निकलेगा कि अपवाद खंड से निपटने के दौरान बीमाकर्ता पर एक भारी जिम्मेदारी है। हम केवल यह

जोड़ सकते हैं कि बीमाकर्ता को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पॉलिसी धारक के हितों का संरक्षण, विनियमन 2002) अधिनियम दिनांकित 16.10.2002 (इसके बाद आईआरडीए विनियमन, 2002 के रूप में संदर्भित) के खंड 3 (ii) के अनुसार वैधानिक रूप से अनिवार्य किया गया है कि बीमाकर्ता और उसके एजेंट बीमित व्यक्ति को पॉलिसी के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य हैं ताकि वह अपने हित में सर्वोत्तम कवर पर निर्णय ले सके। इसके अलावा, खंड 3 के उपखंड (iv) में यह अधिदेश दिया गया है कि यदि बीमित व्यक्ति द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र नहीं भरा जाता है, तो उक्त प्रपत्र के अंत में एक प्रमाण पत्र शामिल किया जाना चाहिए कि प्रपत्र और दस्तावेजों की सभी सामग्री बीमित व्यक्ति को पूरी तरह से वर्णित कर दी गई हैं और उसे समझा दी गईं हैं। इसी प्रकार, खंड 4 में बीमाकर्ता को प्रस्ताव की स्वीकृति के तीस दिनों के भीतर प्रस्ताव प्रपत्र की एक प्रति निशुल्क प्रस्तुत करने का कर्तव्य दिया गया है। किसी भी गैर-अनुपालन से स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति के खिलाफ उल्लंघन करने वाला खंड, चाहे वह अपवाद खंड हो, लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह संभवतः इसके बारे में नहीं जानता हो।

<u>पृथक्करण का सिद्धांत</u>

22. ऐसी स्थिति में, "पृथक्करण" के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए, जो शुरू से ही अपवाद खंड को शून्य होने से रोकता है। उक्त खंड मुख्य अनुबंध के प्रतिकूल है, और इस प्रकार न्यायनिर्णयन की आवश्यकता के बिना ही इसे नष्ट करने से न्यायालय को निश्चित रूप से बचना चाहिए। इस तरह के खंड के अस्तित्व मात्र के ही पूरी तरह से अवैध और इसके उद्देश्य के साथ मुख्य अनुबंध के निष्पादन के लिए हानिकारक पाए जाने पर, इसका अस्तित्व न होने की घोषणा के रूप में एक विलोपन की आवश्यकता है, जिससे न्यायालय द्वारा इसके अनुसार निर्णय की आवश्यकता है। अंग्रेजी और अमेरिकी न्यायालयों द्वारा विकसित उपरोक्त सिद्धांत पर इस न्यायालय द्वारा **बीड जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य,** (2006) 8 एससीसी 514 में विधिवत ध्यान दिया गया है।

10. "पृथक्करण का सिद्धांत" अंग्रेजी और अमेरिकी न्यायालयों द्वारा विकसित किया गया था। हैल्सबरी के इंग्लैंड के कानून, (चौथा संस्करण, खंड 9), पृष्ठ 297, पैरा 430 में, यह कहा गया है :-

430. अवैध और शून्य प्रावधानों का विच्छेद - एक अनुबंध शायद ही कभी पूरी तरह से अवैध या शून्य होगा और इसके कुछ हिस्से अपने आप में पूरी तरह से वैध हो सकते हैं। इसलिए सवाल उठता है कि क्या अवैध या शून्य भागों को अनुबंध से पृथक या 'विच्छेद' किया जा सकता है और बाकी

अनुबंध उनके बिना लागू किया जा सकता है। लगभग सभी मामले व्यापार के नियंत्रण के संदर्भ में उत्पन्न होते हैं, लेकिन निम्नलिखित सिद्धांत सामान्य रूप से अनुबंधों पर लागू होते हैं।

11. पी. रामनाथ अय्यर के *एडवांस्ड लॉ लेक्सिकॉन* के तीसरे संस्करण 2005, खंड 1, पृष्ठ 553-54 में, यह कहा गया है :-

पृथक्करण सिद्धांत (परीक्षण) - यह तय करने के लिए एक न्यायिक मानक कि क्या पूरे अनुबंध को अमान्य किया जाए या केवल आपत्तिजनक शब्दों को। इस मानक के तहत, केवल अपमानजनक शब्दों को अमान्य किया जाता है यदि शब्दों को बदलने, जोड़ने या पुनर्व्यवस्थित करने के विपरीत, उन पर केवल नीली पेंसिल चलाकर उन्हें हटाना संभव हो। (ब्लैक, 7 वां संस्करण, 1999)

यह सिद्धांत अभिनिर्धारित करता है कि यदि न्यायालय प्रअनुबंध के आपत्तिजनक हिस्सों को निकालकर अनुचित नियंत्रण को उचित ठहरा सकती हैं, तो उन्हें ऐसा करना चाहिए और फिर शेष को लागू करना चाहिए। परंपरागत रूप से, सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब विचाराधीन प्रअनुबंध लागू होती है, ताकि अनुचित भागों को अलग किया जा सके। *क्लीवलैंड, इंक. बनाम बेसलर का ई.पी.आई.* [12 ओहियो ऐप 2डी 16 : 230 एनई 2डी 552, 556]।

पृथक्करण नियम/परीक्षण---यह एक कानूनी सिद्धांत है जो एक न्यायाधीश को अनुमति देता है कि वह एक प्रअनुबंध के अनुचित पहलुओं को एक चुनौती के रूप में पेश होने से रोके।

अनुबंध का विच्छेद; 'विच्छेद तब किया जा सकता है जब अलग किए गए हिस्से को शेष भाग को हानि पहुंचाए बिना उस पर नीली पेंसिल चलाकर हटाया जा सकता हो'। *एटवुड बनाम लैमोंट* [(1920) 3 केबी 571 : 1920 ऑल ईआर रेप 55 (सीए)]। (बैंकिंग)

अनुबंधों में एक नियम जो एक न्यायालय प्रअनुबंध को तर्कसंगत बनाने के लिए प्रअनुबंध के कुछ हिस्सों पर लागू कर सकता है ताकि वे चुनौती के रूप में पेश न हो सकें। (मरियम वेबस्टर)

अनुबंध के विच्छेद (क्यू.वी.) को संदर्भित करने वाला वाक्यांश। 'विच्छेद तब किया जा सकता है जब अलग किए गए हिस्से को शेष भाग को हानि पहुंचाए बिना उस पर नीली पेंसिल चलाकर हटाया जा सकता हो'। *एटवुड बनाम लैमोंट* [(1920) 3 केबी 571 : 1920 ऑल ईआर रेप 55 (सीए)]। (बैंकिंग)

12. इस मामले पर हाल ही में इस न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश द्वारा शिन सैटेलाइट पब्लिक कंपनी लिमिटेड बनाम जैन स्टूडियोज लिमिटेड [(2006) 2 एससीसी 628] में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 की उप-धारा (6) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए विचार किया गया है।□

<u>भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872</u>

2. **निर्वचन-खंड**- इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का उपयोग निम्नलिखित अर्थों में किया जाता है, जब तक कि संदर्भ से एक विपरीत संदर्भ प्रकट न हो:-

XXX XXX XXX

(i) एक समझौता जो कानून द्वारा उसके एक या एक से अधिक पक्षों के चुनाव पर लागू करने योग्य है, लेकिन किसी दूसरे या दूसरों के चुनाव पर नहीं, एक शून्य अनुबंध है।

XXX XXX XXX

10. **कौन से समझौते अनुबंध हैं** - सभी समझौते अनुबंध हैं यदि वे अनुबंध करने के लिए सक्षम पक्षों की स्वतंत्र सहमति से, वैध विचार के लिए और एक वैध उद्देश्य के साथ किए जाते हैं, और इसके द्वारा स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं किए जाते हैं।

इसमें निहित कोई भी बात भारत में लागू किसी भी कानून को प्रभावित नहीं करेगी, और इसके द्वारा स्पष्ट रूप से निरस्त नहीं की जाएगी, जिसके द्वारा कोई अनुबंध लिखित रूप में या गवाहों की उपस्थिति में, या दस्तावेजों के पंजीकरण से संबंधित किसी भी कानून को किया जाना आवश्यक है।

XXX XXX XXX

17. **'धोखाधड़ी' परिभाषित**- 'धोखाधड़ी' का अर्थ है और इसमें शामिल है किसी अनुबंध के किसी पक्ष द्वारा, या उसकी मिलीभगत से, या उसके एजेंट द्वारा, किसी अन्य पक्ष या उसके एजेंट को धोखा देने या उसे अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने के इरादे से किए गए निम्नलिखित कृत्यों में से कोई भी :-

(1) एक तथ्य के रूप में, जो सच नहीं है, उसका किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सुझाव, जो इसे सच नहीं मानता है;

(2) तथ्य का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति द्वारा तथ्य को सक्रिय रूप से छिपानाः

(3) उसे पूरा करने के इरादे के बिना किया गया एक वादा;

(4) धोखा देने के लिए उपयुक्त कोई अन्य कार्य;

(5) ऐसा कोई कार्य या चूक जिसे कानून विशेष रूप से धोखाधड़ी घोषित करता है।

स्पष्टीकरण- किसी व्यक्ति की अनुबंध में प्रवेश करने की इच्छा को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में केवल मौन रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियां ऐसी न हों कि उन्हें ध्यान में रखते हुए, चुप रहना व्यक्ति का कर्तव्य है, या जब तक कि उसकी मौनता अपने आप में बोलने के बराबर न हो।

XXX XXX XXX

18. **"मिथ्या निरूपण" परिभाषित**- "मिथ्या निरूपण" का अर्थ है और इसमें शामिल है -

(1) इस तरह से असत्य का सकारात्मक प्राख्यान कि यह इसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की जानकारी द्वारा समर्थित नहीं है, हालांकि वह इसे सच मानता है;

(2) कर्तव्य का कोई भी उल्लंघन जो धोखा देने के इरादे के बिना, इसे करने वाले व्यक्ति, या उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति का, दूसरे को उसके पूर्वाग्रह के लिए गुमराह करके, या उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के पूर्वाग्रह के लिए लाभ प्राप्त करता है;

(3) किसी समझौते के पक्षकार को, भले ही निष्कपट रूप से, समझौते के विषय वस्तु के सार के बारे में गलती करने के लिए प्रेरित करना।

XXX XXX XXX

19. मुक्त सहमति के बिना समझौतों की शून्यकरणीयता- जब एक समझौते के लिए सहमति जबरदस्ती, धोखाधड़ी या मिथ्या निरूपण के कारण होती है, तब समझौता एक ऐसा अनुबंध है, जिसे उस पक्ष के चुनाव पर अमान्य किया जा सकता है, जिसकी सहमति इस प्रकार ली गई थी।

अनुबंध करने वाला कोई पक्ष, जिसकी सहमति धोखाधड़ी या मिथ्या निरूपण के कारण हुई थी, यदि वह उचित समझता है, इस बात पर जोर दे सकता है कि अनुबंध का पालन किया जाएगा, और उसे उस स्थिति में रखा जाएगा जिसमें वह होता यदि किए गए निरूपण सही होते।

अपवाद- यदि ऐसी सहमति मिथ्या निरूपण या मौन रहने के कारण, धारा 17 के अर्थ के भीतर धोखाधड़ी के कारण हुई थी, तो भी अनुबंध अमान्य नहीं है, यदि जिस पक्ष की सहमति इस तरह से ली गई थी, उसके पास सामान्य परिश्रम के साथ सच्चाई का पता लगाने का साधन था।

स्पष्टीकरण- एक धोखाधड़ी या मिथ्या निरूपण जो उस पक्ष की अनुबंध के लिए सहमति का कारण नहीं बना, जिसके साथ इस तरह की धोखाधड़ी की गई थी, या जिसके समक्ष इस तरह का मिथ्या निरूपण किया गया था, एक अनुबंध को अमान्य नहीं करता है।

दृष्टांत

XXX XXX XXX

(ग) क धोखाधड़ी से ख को सूचित करता है कि क की संपत्ति ऋण भार से मुक्त है। इस पर ख संपत्ति खरीद लेता है। संपत्ति गिरवी रखी गई है। ख या तो अनुबंध से बच सकता है, या इसे पूरा करने और बंधक-ऋण के मोचन पर जोर दे सकता है।

23.भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (इसके बाद "अनुबंध अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 2(i) एक अमान्य अनुबंध को परिभाषित करती है। यह परिभाषा खंड अनुबंध के पक्षों के एक पक्ष को इसे अमान्य घोषित करने का विकल्प देता है।

24.अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के तहत, जब विचार वैध होता है, तब एक समझौता एक अनुबंध के चरित्र के सदृश होगा और साथ ही इसका उद्देश्य भी। कानून की नजर में एक अनुबंध न होने के कारण एक अमान्य समझौते को लागू नहीं किया जा सकता है। "धोखाधड़ी" और "मिथ्या निरूपण" शब्दों को अनुबंध अधिनियम की धारा 17 और 18 के तहत परिभाषित किया गया है। एक सरल पठन पर ये दो प्रावधान एक स्पष्ट संकेत देते हैं कि वे बहुत व्यापक महत्व के हैं। उन्हें कोई प्रतिबंधात्मक अर्थ नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि "इसका अर्थ है" और "इसमें शामिल है" दोनों शब्दों का सचेत रूप से उल्लेख किया गया है। दी गई श्रेणियाँ

केवल उदाहरणात्मक प्रकृति की हैं। "धोखाधड़ी" या "मिथ्या निरुपण" के कृत्य में क्या शामिल है, यह एक तथ्य का प्रश्न है।

25.एक बार धोखाधड़ी, जबरदस्ती या मिथ्या निरूपण का कृत्य साबित हो जाने के बाद, अनुबंध होने के नाते समझौता उस पक्ष के चुनाव पर अमान्य होने योग्य बन जाता है जिसके खिलाफ यह किया गया था। अनुबंध अधिनियम की धारा 19 के तहत विकल्प न केवल इस तरह के पक्षकार को सुविधा प्रदान करता है, लेकिन दूसरे जो जिम्मेदार है, उसे भी अनुबंध को अमान्य घोषित करने की कोशिश करने से रोकता है। इस प्रकार, उक्त पक्ष के लिए दरवाजा बंद है जो अनुबंध को अमान्य घोषित करने की मांग में इस तरह के कृत्य से लाभान्वित होता है।

26.अनुबंध अधिनियम की धारा 19 का दूसरा खंड पीड़ित पक्ष को उसके खिलाफ धोखाधड़ी या मिथ्या निरूपण के बावजूद अनुबंध के निष्पादन की मांग करने का अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है। इसलिए, एक पीड़ित पक्ष के पास या तो अनुबंध को अमान्य घोषित करने या उसके उचित निष्पादन पर जोर देने का विकल्प होता है। इस प्रावधान के पीछे एक प्रशंसनीय उद्देश्य है जो उस पार्टी को पर्याप्त राहत प्रदान करना है, जो धोखाधड़ी, जबरदस्ती या मिथ्या निरूपण करने वाले व्यक्ति के हाथों व्यथित है। उपरोक्त स्थिति अनुबंध अधिनियम की धारा 19 के दृष्टांत (ग) से स्पष्ट की

गई है, जो ख पक्ष के लिए अनुबंध से बचने या इसे पूरा करने पर जोर देने का प्रावधान करती है। यह उल्लंघनकर्ता को उसके गलत काम से लाभ प्राप्त करने से भी रोकता है।

27.जब किसी न्यायालय को यह संतुष्टि हो जाती है कि एक धोखाधड़ी या मिथ्या निरूपण के परिणामस्वरूप एक पारस्परिक रूप से विनाशकारी खंड के अस्तित्व को दबाने से अनुबंध का निष्पादन किया गया है जो बीमाकर्ता को उपभोक्ता से लाभ प्राप्त करते समय दायित्व से बचने की सुविधा प्रदान करता है, तो परिणामी राहत प्रदान करनी होगी।

<u>उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986:</u>

"2. **परिभाषाएँ**- (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो,-

XXX XXX XXX

(छ)"कमी" से निष्पादन की गुणवत्ता, प्रकृति और शैली में कोई त्रुटि, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्तता अभिप्रेत है जिसे तत्काल लागू किसी कानून द्वारा या उसके तहत बनाए रखने की आवश्यकता है या जिसे किसी व्यक्ति द्वारा किसी अनुबंध के अनुसरण में या किसी सेवा के संबंध में अन्यथा निष्पादित करने के लिए किया गया है;

XXX XXX XXX

(ड) "अनुचित व्यापार व्यवहार" से ऐसा व्यापार व्यवहार अभिप्रेत है जो किसी वस्तु की बिक्री, उपयोग या आपूर्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से या किसी सेवा के प्रावधान के लिए निम्नलिखित में से किसी भी प्रथा सहित कोई अनुचित तरीका या अनुचित या भ्रामक व्यवहार अपनाता है, अर्थात्:-

(1) मौखिक रूप से या लिखित रूप में या दृश्य निरूपण द्वारा कोई भी कथन करने की प्रथा, जो

XXX XXX XXX

(iv) यह दर्शाती है कि वस्तुओं या सेवाओं का प्रायोजन, अनुमोदन, प्रदर्शन, विशेषताएँ, सहायक उपकरण, उपयोग या लाभ हैं जो ऐसी वस्तुओं या सेवाओं के पास नहीं हैं।

XXX XXX XXX

(vi) किसी भी वस्तु या सेवा की आवश्यकता या उपयोगिता के बारे में गलत या भ्रामक निरूपण करती है।"

XXX XXX XXX

3. **अधिनियम किसी अन्य कानून का अल्पीकरण नहीं करता-** इस अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होगें और उनका अल्पीकरण नहीं करेंगे।

XXX XXX XXX

14. जिला अधिकरण का निष्कर्ष- (1) यदि, धारा 13 के तहत संचालित कार्यवाही के बाद, जिला अधिकरण संतुष्ट है कि शिकायत की गई वस्तुएं शिकायत में निर्दिष्ट किसी भी दोष से पीड़ित हैं या सेवाओं के बारे में शिकायत में निहित कोई भी आरोप साबित हो गया है, यह विरोधी पक्ष को निम्नलिखित में से एक या अधिक करने का निर्देश देते हुए एक आदेश जारी करेगा, अर्थात् :-

XXX XXX XXX

(घ) विरोधी पक्ष की लापरवाही के कारण उपभोक्ता को हुए किसी नुकसान या क्षति के लिए उपभोक्ता को मुआवजे के रूप में ऐसी राशि का भुगतान करना जो उसके द्वारा दी जाती :-

बशर्ते कि जिला अधिकरण के पास ऐसी परिस्थितियों में ऐसी दंडात्मक क्षतिपूर्ति प्रदान करने की शक्ति होगी जो वह उचित समझे;

(च) अनुचित व्यापार व्यवहार या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार को बंद करना या उन्हें दोहराना नहीं;

28.उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (इसके बाद "1986 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत उपभोक्ता एक वाद में वादी की तुलना में उच्च स्थान पर है। दीवानी वाद के विपरीत उपभोक्ता आयोग के समक्ष किसी विवाद को मुख्य रूप से उपभोक्ता के दृष्टिकोण से देखा जाना

चाहिए। यह केवल राहत देने में किसी भी संभावित अड़चन से बचने के लिए है। आयोग के अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया गया है, जो 1986 के अधिनियम की धारा 3 के तहत निर्धारित किसी भी अन्य कानूनों के अतिरिक्त है। इस अधिनियम के स्व-निहित होने के कारण, इसे प्रक्रियात्मक कानूनों द्वारा मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका उद्देश्य अब राहत प्रदान करना है न कि इसे कम करना है। उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2005 के विनियम 26 द्वारा हमारा उपरोक्त दृष्टिकोण पुष्ट हुआ है जो आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत विचार की गई बोझिल प्रक्रिया से बचने के लिए आगाह करता है। स्पष्ट रूप से, इसका उद्देश्य आयोग को यथासंभव उपभोक्ता अनुकूल बनाना है।

29. अनुचित व्यापार व्यवहार को नियंत्रित करने वाले प्रावधान पर ध्यान देने के बाद, यह स्पष्ट है कि यह सभी प्रकार के अनुचित व्यापार व्यवहार को अपने दायरे में लेता है। कोई भी इस प्रावधान की सीमित या संकीर्ण व्याख्या नहीं कर सकता है जो एक निमंत्रण से शुरू होता है, प्रस्ताव जिसका पूर्ववर्ती है, अनुबंध की स्वीकृति, संचालन और निष्पादन जिसके अनुगामी हैं। विशेष रूप से 1986 अधिनियम की धारा 14 के आलोक में, अनुचित व्यापार व्यवहार के अस्तित्व के

संबंध में एक पक्ष के खिलाफ न्यायालय के निष्कर्ष को दूसरे के पक्ष में पर्याप्त राहत में बदलना होगा। अधिनियम के पीछे के विधायी इरादे को ध्यान में रखना होगा। एक बार फिर, हम परिभाषा खंड को दोहराते हैं जो न्यायालय को किसी भी प्रकार के अनुचित व्यापार व्यवहार को अवैध घोषित करते हुए उचित राहत देने के लिए पर्याप्त साधन प्रदान करता है।

<u>उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 :-</u>

"2. **परिभाषाएँ**- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, -

XXX XXX XXX
XXX XXX XXX

(46) "अनुचित अनुबंध" से एक ओर निर्माता या व्यापारी या सेवा प्रदाता और दूसरी ओर उपभोक्ता के बीच एक अनुबंध अभिप्रेत है, जिसमें ऐसी शर्तें हैं जिनके कारण ऐसे उपभोक्ता के अधिकारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, अर्थात् :-

() अनुबंधात्मक दायित्वों के निष्पादन के लिए उपभोक्ता द्वारा स्पष्ट रूप से अत्यधिक प्रतिभूति जमा की आवश्यकता; या

(ii) उपभोक्ता पर उसके अनुबंध के भंग के लिए कोई जुर्माना लगाना, जो अनुबंध के दूसरे पक्ष को इस

तरह के भंग के कारण हुए नुकसान के लिए पूरी तरह से असमान है; या

(iii) लागू दंड के भुगतान पर ऋणों के शीघ्र पुनर्भुगतान को स्वीकार करने से इनकार करना; या

(iv) अनुबंध के किसी पक्ष को बिना किसी उचित कारण के एकतरफा रूप से इस तरह के अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार देना; या

(v) एक पक्ष को दूसरे पक्ष, जो एक उपभोक्ता है, उसकी सहमति के बिना, उसके नुकसान के लिए अनुबंध सौंपने की अनुमति देना या ऐसा प्रभाव होना; या

(vi) उपभोक्ता पर कोई अनुचित शुल्क, दायित्व या शर्त अधिरोपित करना जो ऐसे उपभोक्ता को नुकसान पहुँचाता है।

(47) "अनुचित व्यापार व्यवहार" से ऐसा व्यापार व्यवहार अभिप्रेत है जो किसी वस्तु की बिक्री, उपयोग या आपूर्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से या किसी सेवा के प्रावधान के लिए निम्नलिखित किसी भी व्यवहार सहित, कोई अनुचित तरीका या अनुचित या भ्रामक व्यवहार अपनाता है, अर्थात्:-

(i) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से होने सहित चाहे मौखिक रूप से हो या लिखित रूप में या दृश्य निरूपण द्वारा, कोई भी बयान देना, जो -

(क) यह गलत तरीके से दर्शाता है कि माल एक विशेष मानक, गुणवत्ता, मात्रा, श्रेणी, संरचना, शैली या मॉडल के हैं;

(ख) यह गलत तरीके से दर्शाता है कि सेवाएँ किसी विशेष मानक, गुणवत्ता या श्रेणी की हैं;

(ग) किसी भी पुनर्निर्मित, सेकण्ड हेंड, पुनर्निर्मित, मरम्मत की हुईं या पुरानी वस्तुओं को नई वस्तुओं के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करता है;

(घ) यह दर्शाता है कि वस्तुओं या सेवाओं का प्रायोजन, अनुमोदन, प्रदर्शन, विशेषताएँ, सहायक उपकरण, उपयोग या लाभ हैं जो ऐसी वस्तुओं या सेवाओं के पास नहीं हैं;

(ङ) यह दर्शाता है कि विक्रेता या आपूर्तिकर्ता के पास एक प्रायोजन या अनुमोदन या संबद्धता है जो ऐसे विक्रेता या आपूर्तिकर्ता के पास नहीं है;

(च) किसी भी वस्तु या सेवा की आवश्यकता या उपयोगिता के बारे में गलत या भ्रामक निरूपण करता है;

(छ) जनता को किसी उत्पाद या किसी भी वस्तु के प्रदर्शन, प्रभावकारिता या जीवन की अवधि की कोई वारंटी या गारंटी देता है जो उसके पर्याप्त या उचित परीक्षण पर आधारित नहीं है:"

30. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (इसके बाद "2019 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 2 की उप-धारा (46) के तहत परिभाषा खंड अनुचित अनुबंध का बहुत व्यापक अर्थ प्रदान करता है। अन्य प्रावधानों की

तरह, यह उपखंड (i) से (vi) के तहत उल्लिखित कुछ उदाहरणात्मक परिस्थितियों तक ही सीमित नहीं है। अंततः, किसी अनुबंध को अनुचित अनुबंध घोषित करना राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग का काम है।

31. हालाँकि, ये दो प्रावधान केवल शर्तों को परिभाषित कर रहे हैं, वे वास्तव में आयोग को अनुबंध की शर्तों की अनुचित प्रकृति और व्यापार व्यवहार के मुद्दे को जांचने का अधिकार देते हैं। एक बार यदि राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, जो भी हो, इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि अनुबंध की अवधि विशेष रूप से अनुचित व्यापार प्रथा के कारण अनुचित है, तो पीड़ित पक्ष को परिणामी राहत दी जानी चाहिए। उपरोक्त दृष्टिकोण को 2019 अधिनियम की धारा 47 और 49 द्वारा और मजबूत किया गया है।

<u>धारा 47 और 49</u>

> **(47) राज्य आयोग की अधिकार क्षेत्र -** (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य आयोग का निम्न में क्षेत्राधिकार होगा—
>
> (अ) विचार करना---
>
> (i) उन शिकायतों पर जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है:
>
> बशर्ते कि जहाँ केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे, वहाँ वह ऐसा अन्य मूल्य निर्धारित कर सकेगी, जो वह उचित समझे;

(ii) अनुचित अनुबंधों के खिलाफ शिकायतें, जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;

(iii)राज्य के भीतर किसी भी जिला आयोग के आदेशों के खिलाफ अपील; और...

XXX XXX XXX

49. राज्य आयोग पर लागू प्रक्रिया- (1) धारा 35, 36, 37, 38 और 39 के अधीन शिकायतों से संबंधित प्रावधान, आवश्यक संशोधनों के साथ राज्य आयोग द्वारा शिकायतों के निपटान पर लागू होंगे।

(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य आयोग अनुबंध की किसी भी शर्त को, जो किसी भी उपभोक्ता के लिए अनुचित है, अमान्य घोषित कर सकता है।

XXX XXX XXX

58. राष्ट्रीय आयोग का अधिकार क्षेत्र

(1) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, राष्ट्रीय आयोग की निम्न में अधिकारिता होगी-

(अ) विचार करना-

() उन शिकायतों पर जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक हैः बशर्ते कि जहाँ केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे, वहाँ वह ऐसा अन्य मूल्य निर्धारित कर सकेगी, जो वह उचित समझे;

() अनुचित अनुबंधों के खिलाफ शिकायतें, जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य दस करोड़ रुपये से अधिक है;

() किसी भी राज्य आयोग के आदेशों के खिलाफ अपील;

(iv) केंद्रीय प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील; और

xxx xxx xxx

59. राष्ट्रीय आयोग पर लागू प्रक्रिया- 1) धारा 35, 36, 37, 38 और 39 के अधीन शिकायतों से संबंधित प्रावधान, आवश्यक संशोधनों के साथ राज्य आयोग द्वारा शिकायतों के निपटान पर लागू होंगे।

(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य आयोग अनुबंध की किसी भी शर्त को, जो किसी भी उपभोक्ता के लिए अनुचित है, अमान्य घोषित कर सकता है।

32. 2019 अधिनियम की धारा 47 और 58 राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग को अनुबंध पर अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने लिए पेश किया गया है जो अनुचित है। जैसा कि कहा गया है, यह शक्ति न केवल अनुबंध के उचित या अनुचित होने को पहचानने के संबंध में है, बल्कि परिणामी राहत प्रदान करने के लिए भी है।

33. 2019 अधिनियम के खंड 49 और 59 की उप-खंड (2) के तहत, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग, क्रमशः, किसी भी उपभोक्ता के लिए अनुचित होने पर अनुबंध की किसी भी शर्त को अमान्य घोषित कर सकते हैं। किसी अनुबंध के नागरिक उपचार के सूत्र को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत इस प्रावधान में अच्छी तरह से निहित है।

34. इन प्रावधानों में अनुबंध की किसी भी शर्त को राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग द्वारा अनुचित घोषित करने की पर्याप्त शक्ति मौजूद है। "अनुबंध की कोई भी शर्तें" शब्द राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग को अनुबंध की किसी विशेष अवधि पर अप्रतिबंधित अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने का अधिकार देगा, यदि उसकी राय में, बीमाकर्ता द्वारा इसे लाने में कुछ अनुचितता है। उस अवधि को अनुचित घोषित करना अनुबंध को सक्रिय और उपभोक्ता के लाभ के लिए निष्पादित करने योग्य बना देगा। इसलिए, यह प्रावधान बीमाकर्ता द्वारा उपभोक्ता के विरुद्ध संभावित धोखाधड़ी का ध्यान रखता है।

35. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि उपरोक्त प्रावधान नए 2019 अधिनियम के तहत पेश किए गए हैं। हालाँकि, इन प्रावधानों के इरादे को पूर्व अधिनियम, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत भी निहित माना जा

सकता है। इस न्यायालय ने आयोग का अधिकार क्षेत्र **आई. आर. ई. ओ. ग्रेस रियलटेक (प्र.) लिमिटेड बनाम अभिषेक खन्ना**, (2021) 3 एससीसी 241 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 अधिनियम की खंड 14 के तहत का पाया है।

> 33. 1986 के अधिनियम की धारा 14 उपभोक्ता फोरम को बिल्डर को निर्देश जारी करके सेवा की कमी को दूर करने और विरोधी पक्ष द्वारा हुए नुकसान या चोट के लिए उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति करने या अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को बंद करने का अधिकार देती है।
>
> 34. हमारा विचार है कि अपार्टमेंट खरीदार समझौते में इस तरह के एकतरफा और अनुचित खंडों को शामिल करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (1) (आर) के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार है। यहां तक कि 1986 के अधिनियम के तहत, अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को बंद करने की शक्तियों के अंतर्गत, उपभोक्ता फोरम की शक्तियों को किसी भी तरह से अनुबंध की शर्तों को अनुचित या एकतरफा घोषित करने के लिए बाध्य नहीं किया गया था । "अनुचित अनुबंध" को 2019 अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है, और राज्य उपभोक्ता मंचों और राष्ट्रीय आयोग को अनुचित, अमान्य के रूप में अनुबंध शर्तों को घोषित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। यह उस शक्ति की वैधानिक मान्यता है जो 1986 के अधिनियम के तहत निहित थी।

<u>विश्लेषण</u>

36. दोनों मंचों ने समवर्ती रूप से माना है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 इस तथ्य से अवगत था कि अनुबंध बेसमेंट में स्थित एक दुकान का बीमा करने के लिए किया गया था। उपरोक्त स्थिति न केवल तथ्यात्मक है, बल्कि प्रत्यर्थीगण द्वारा भी स्वीकार की गई है क्योंकि विवादित आदेश के विरुद्ध कोई चुनौती नहीं की गई है। इसी तरह, पर्याप्त सूचना का पालन न करने का भी कोई विशिष्ट खंडन नहीं किया गया था। राष्ट्रीय आयोग ने इस पहलू पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है, हालांकि राज्य आयोग द्वारा इस पर विस्तार से विचार किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 21 (अ) को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 के समान नहीं है। अन्यथा भी, विवादित आदेश में उन सभी प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार नहीं किया गया है जिन पर राज्य आयोग द्वारा विधिवत ध्यान दिया गया था।

37. एक बार जब यह साबित हो जाता है कि सेवा में कमी है और प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपवाद खंड के बावजूद सोचसमझ कर अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है, तब इसका परिणाम निकलेगा। हम पहले ही भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत प्रावधानों के सीमा और दायरे पर चर्चा कर चुके हैं। यहां तक कि सहमति और बहिष्कार के सामान्य कानून सिद्धांत के

अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 1 को अपनी गलती, यदि कोई हो, का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपवाद खंड की सचेत छूट है।

38. विवादित आदेश के तहत, हम पहले ही राज्य आयोग के निष्कर्षों पर ध्यान दें चुके हैं और उन पर चर्चा कर चुके हैं, जिन्हें वास्तव में राष्ट्रीय आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है। ये निष्कर्ष इस परिणाम पर पहुंचने के लिए पर्याप्त हैं कि अनुबंध की शर्तें अनुचित हैं, विशेष रूप से अपवाद खंड, और प्रत्यर्थी संख्या 1 अनुचित व्यापार व्यवहार में लिप्त है। इस पर ध्यान देते हुए, राष्ट्रीय आयोग के निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है क्योंकि अपीलकर्ता को केवल सेवा में कमी के आधार पर इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना गैर-उपयुक्त नहीं ठहराया जा सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की खंड 14 (डी) और 14 (एफ) के तहत शक्ति का प्रयोग करके परिणामी राहत देना फोरम का कर्तव्य है जो अधिनिर्णय के माध्यम से पर्याप्त मुआवजे के भुगतान को अनिवार्य करता है। उक्त प्रावधान अनुबंध में अनुचित शर्त होना और दूसरे पक्ष की ओर से अनुचित व्यापार व्यवहार जैसी कमी पाए जाने पर पर्याप्त मुआवजा देने में इसे

परिणामी बनाता है। दूसरे शब्दों में, एक पक्ष उस राहत का हकदार है जो कानून प्रदान करता है।

39. आई. आर. डी. ए. विनियमन, 2002 के खंड (3) और (4) का गैर-अनुपालन एकतरफा समावेश से पहले, और उसके बाद अनुबंध का निष्पादन, लाभ प्राप्ति, और यह जानने के बाद इसका निराकरण कि इसे बेसमेंट के लिए किया गया था, निश्चित रूप से अनुचित व्यापार व्यवहार का कार्य होगा। यह दृष्टिकोण इस निष्कर्ष से मजबूत होता है कि अपवाद खंड एक अनुचित शर्त है, जो अनुबंध के उद्देश्य के खिलाफ है, और स्थापना से ही निष्पादन योग्य नहीं है।

40. इसलिए, हमें राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आदेश को रद्द करने में कोई संकोच नहीं है। हालाँकि, हम प्रत्यर्थीगण की ओर से पेश अधिवक्ता द्वारा की गई इस दलील से सहमत हैं कि राज्य आयोग ने बिना किसी आधार के उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा के लिए 2.5 लाख रुपये की राशि प्रदान की है। हमारा विचार है कि उस शीर्ष के तहत राशि देने का कोई मामला नहीं बनाया गया है क्योंकि प्रत्यर्थीगण ने केवल कानूनी रुख अपनाया है। उपरोक्त के आलोक में, एफए संख्या 275/2016 में राष्ट्रीय आयोग द्वारा

पारित आदेश को उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा के लिए 2.5 लाख रुपये की राशि की देयता को खारिज कर निरस्त किया जाता है। अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

42. इस मामले के समाप्त होने से पहले, हम आई. आर. डी. ए. विनियमन, 2002 के खंड (3) और (4) के अनिवार्य अनुपालन पर सभी बीमा कंपनियों को चेतावनी देना चाहते हैं। बीमा कंपनियों की ओर से कोई भी गैर-अनुपालन, अनुबंध के अंतर्गत किसी भी नियम और शर्तों को आधार बना कर अनुबंध को अस्वीकार करने के अनुरोध करने के उनके अधिकार को छीन लेगा।

.....न्या.
(सूर्य कान्त)

.....न्या.
(एम.एम. सुरेश)

नई दिल्ली
09 नवम्बर, 2022

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Disclaimer: *The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.*

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*